UPET010082312023

न्यायालय : विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0) एटा

उपस्थित– वीरभद्र ''एच0जे0एस0'' JO CODE U P 6087

एस.टी. नं0 1377/2023

राज्य बनाम आकाश आदि

अ0सं0–211/2022

धारा–147,148,149,302,307,336,504,506,भा0दं0सं0

थाना जलेसर, जिला एटा।

19.03.2024

पत्रावली पेश हुई।प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–227 दं0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक27.06.2022 को 20.05बजे प्रार्थीगण के गॉव के जुगेन्द्रपाल सिंह द्वारा अ0सं0211/2022 पर अन्तर्गत धारा–147,148,149,302,307,336,504,506,भा0दं0सं0 इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 27.06.2022 को शाम करीब 5 बजे जब दो लेखपाल जमीन का मुआयना कर रहे थे, तथा पूर्व ग्राम प्रधान शीलेन्द्रपाल सिंह साथ थे, तभी मौनू उर्फ केशव,तेखेन्द्रपाल सिंह, लखवीर, देवेन्द्रपाल, जमलू, राजू, रामू, अजय, व पॉच अन्य लोगों ने रायफल रिवाल्वर कट्टा कुल्हाड़ी व फरसा के साथ आकर गाली गलौज किया व फायंरिग की, जिससे गवेन्द्र व वादी घायल हुआ और शीलेन्द्र के फरसे की चोट आयी। अभियोजन के अनुसार दिनांक 01.07.2022 को कथित चुटैल शीलेन्द्रपाल सिंह की एस.एन. मेडीकल कालेज आगरा में मृत्यु हो गयी, तत्पश्चात् धारा–308 भा0दं0सं0 का लोप कर धारा–302, 307 भा0दं0सं0 की बढोत्तरी की गयी, बाद विवेचना विवेचक ने वादी पक्ष से साज करके अभियुक्तगण/प्रार्थीगण के विरुद्ध भी बिना साक्ष्य पाते हुए आरोपपत्र प्रेषित कर दिया। दौरान विवेचना प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित दो अभियुक्त तेखेन्द्र प्रताप व देवेन्द्र प्रताप की उपस्थिति कथित घटना के समय घटनास्थल पर न होकर अन्यत्र स्थापित हुई और उनका नाम विवेचना से निकाला गया जो वादी कथित प्रत्यक्षदर्शीगण एवं अभियोजन कहानी को गलत साबित करता है। प्रार्थीगण वादी व चुटैल साक्षीगण के गॉव के हैं व पूर्व परिचित हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। यदि प्रार्थीगण कथित घटनास्थल पर उपस्थित होते तो निश्चित ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में अन्य अभियुक्तगण के साथ नामित किये जाते। दौरान विवेचना उनको प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी नामित करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह कि प्रार्थी रहीशू उर्फ रहीशुददी्न प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त जमलू व राजू का सगा भाई है। प्रार्थी रहीशू उर्फ रहीशुददीन का उपरोक्त परिस्थितियों में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित न होना उसकी बेगुनाही स्थापित करता है। मृतक शीलेन्द्र के दिनांक 01.07.2022 तक जीवित रहते वादी या किसी अन्य साक्षी ने प्रार्थीगण आकाश ,आकाश, आशीष व रहीशू उर्फ रहीशुददीन को घटना में नामित नहीं किया। प्रार्थी रहीशू उर्फ रहीशुददीन का नाम प्रथम बार दौरान विवेचना केस डायरी के पर्चा नं0–26 में दिनांक 04.08.2022 को घटना के एक माह 07 दिन बाद पंचायतनामा के गवाहों के माध्यम से आया है तथा उन्होनें भी उसे घटनास्थल पर देखना या कोई एक्टिव रोल नहीं बताया है। बल्कि घटना के कुछ कथित फोटोग्राफ जिनके कोई निगेटिव पत्रावली पर नहीं है में अन्य लोगों के साथ खड़ा होना व फोटोग्राफ्स में पहचानना बताया है। उपरोक्त फोटोग्राफ्स न तो विश्वसनीय साक्ष्य हैं और न घटना से कनेक्ट हो रहे हैं और न ही उनसे यह स्पष्ट है कि वह किस तारीख के और न ही उन फोटोग्राफ्स में प्रार्थी रहीशू उर्फ रहीशुददीन की उपस्थिति स्पष्ट है। दिनांक 01.07.2022 तक कई बार वादी व गवाहान के बयान विवेचक द्वारा लिए गये, परन्तु वादी द्वारा शीलेन्द्र प्रताप की मृत्यु के बाद आकाश व आशीष को बिना किसी स्पष्टीकरण के घटना में शामिल होना कहा जाने

लगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के समय थाने पर कथित चुटैल उपस्थित थे, परन्तु उस समय किसी भी चुटैल ने तीनों ही प्रार्थीगण में से किसी का घटना में संलिप्त होना नहीं बताया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाये लेखपाल अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करते। प्रार्थीगण से कथित घटना से सम्बन्धित कोई असलाह आदि भी बरामद नहीं हुआ। प्रार्थीगण को कथित घटना कारित करने का कोई मोटिव नहीं है और न ही प्रार्थीगण जमीन के किसी विवाद में लाभार्थी हैं। प्रार्थी रहीशू उर्फ रहीशुदद्ीन के सगे भाई जमलू व राजू खां को प्रथम सूचना रिपोर्ट में झूंठा नामित किया गया। इस कारण प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी ने अपने भाईयों को बचाने के लिए पैरवी शुरू की और इसी क्रम में प्रार्थनापत्र दिया तो वादी पक्ष ने प्रार्थी रहीशू उर्फ रहीशुदद्ीन को भी काफी समय पश्चात् पुलिस से मिलकर झूंठा अभियुक्त बनवा दिया। अतःउपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थीगण को उन्मोचित करने की कृपा की जाय।

अभियोजन पक्ष की ओर से वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए तर्क किया है कि बचावपक्ष ने जानबूझकर आरोप विरचन की कार्यवाही को बाधित करने के लिए यह प्रार्थनापत्र दिया है, जबकि इसके पूर्व न्यायालय द्वारा बचावपक्ष को चेतावनी भी दी जा चुकी है। प्रार्थनापत्र में कोई बल नहीं है, जिन आधारों पर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है,उनको विचारण के समय देखा जा सकता है।

अपने तर्को के समर्थन में अभियोजन ने माननीय उच्चतम न्यायालय की निर्णयज विधि **भावना बाई बनाम घनश्याम व अन्य 2020 (1) जे.सी.आर.सी. 469** व माननीय उच्चतम न्यायालय की एक अन्य निर्णयज विधि **राजस्थान राज्य बनाम अशोक कश्यप 2021 (2) जे.सी.आर.सी. 1067** प्रस्तुत की है।

मैनें उभय पक्ष के द्वारा उठाये गये तर्को को विचार में लिया तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक 27.06.2022 की शाम 5 बजे की है। जब कथित रूप से नामजद 9 अभियुक्त व एक अज्ञात व्यक्तियों ने मिलकर लाठीडंडा व फरसा व आग्नेयास्त्रों से वादी मुकदमा व उसके साथ खेत की पैमायश करवा रहे व्यक्तियों पर हमला किया। इस घटना में वादी मुकदमा व अन्य लोग घायल हुए तथा एक अन्य शीलेन्द्रपाल सिंह की बाद में मृत्यु भी हो गयी। प्रारम्भतः मुकदमा धारा–147,148,149,504,336,308,506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया। मृतक शीलेन्द्रपाल सिंह की मृत्यु हो जाने पर धारा–307,302 भा0दं0सं0 की बढोत्तरी की गयी। विवेचना के दौरान दो नामजद अभियुक्त तेखेन्द्रपाल सिंह व देवेन्द्र की नामजदगी गलत पाते हुए उनकी अन्यत्र उपस्थिति के आधार पर उनका नाम निकाला गया, जबकि साक्षियों के बयानों के आधार पर तीन नये व्यक्तियों आकाश, आशीष रहीशू उर्फ रहीशुदद्ीन को विवेचना में सम्मिलित करते हुए उनके विरुद्ध भी आरोपपत्र प्रेषित किया।

बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण आकाश, आशीष व रहीशू उर्फ रहीशुदद्ीन न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है न ही उनकी किसी भूमिका का कोई उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा साक्षियों के बयानों में दर्शाया गया है, बाद में सोच विचार के उपरान्त घायल साक्षी शीलेन्द्रपाल सिंह की मृत्यु हो जाने पर अभियुक्तगण आकाश व आशीष का नाम गवाहों के बयानों में प्रकाश में लाया गया, जबकि प्रार्थी रहीशू उर्फ रहीशुदद्ीन का पर्चा नं0–26 में घटनास्थल के फोटोग्राफ में उसकी उपस्थिति के आधार पर लाया गया है। केस डायरी के इसके अलावा आवेदकगण के विरुद्ध ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिनके आधार पर उनके विरुद्ध आरोप विरचित किया जा सके।

अभियोजन की ओर से तर्क किया गया कि इस स्तर पर धारा–161 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत दर्ज किये गये बयानों की गुणदोष के आधार पर समीक्षा नहीं की जा सकती। तीनों आवेदकगण की घटनास्थल पर मौजूदगी का साक्ष्य है। रहीशू उर्फ रहीशुदद्ीन को भी घटनास्थल के फोटोग्राफ के आधार पर मौके पर उपस्थित पाया गया तथा उसके भी घटना में सम्मिलित होने का बयान साक्षियों ने दिया है। आवेदनपत्र में लिए गये आधारों पर प्रार्थीगण को उन्मोचित नहीं किया जा सकता।

मैनें केस डायरी का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदकगण आकाश, आशीष व रहीशू उर्फ रहीशुदद्ीन को नामजद नहीं किया गया है बल्कि कुछ

अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी है। केस डायरी के पर्चा नं0 26 में सर्वप्रथम चश्मदीद साक्षी धर्मेन्द्रपाल सिंह ने मौके पर 11 अभियुक्तों की उपस्थिति का उल्लेख किया तथा प्राथमिकी में नामित 9 अभियुक्तगण के अतिरिक्त आशीष पुत्र सुशील कुमार व आकाश पुत्र अशोक कुमार की उपस्थिति तथा उनके द्वारा एक योजना के तहत गालीगलौज व मारपीट करने का उल्लेख किया है, जिसका समर्थन बाद में वादी मुकदमा जुगेन्द्रपाल ने अपने विस्त्रृत बयान में दिया है तथा उनकी घटना में भूमिका का उल्लेख किया है। रहीशू उर्फ रहीशुद्दीन के घ ाटनास्थल पर उपस्थिति के सम्बन्ध में सर्वप्रथम उल्लेख केस डायरी के पर्चा संख्या–26 में मिलता है जो घटनास्थल की फोटोग्राफ पर आधारित हैं। घटनास्थल की फोटोग्राफ के आधार पर विवेचक ने साक्षियों के बयान लिए हैं तथा फोटोग्राफ में रहीशू उर्फ रहीशुद्दीन पुत्र वशीर खां की मौके पर उपस्थिति पाते हुए उसके विरुद्ध भी आरोपपत्र प्रस्तुत किया है। यद्यपि घटना में प्रार्थी/अभियुक्त रहीशू उर्फ रहीशुददीन की स्पष्ट भूमिका का कोई उल्लेख नहीं है परन्तु मौके पर उसकी उपस्थिति के पहचान घ ाटनास्थल पर उपस्थिति साक्षियों द्वारा किया गया है। नामजद अभियुक्त जमलू व राजू, रहीशू उर्फ रहीशुददीन के भाई हैं तथा मौके पर उसकी उपस्थिति के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये फोटोग्राफी पर भी बचाव पक्ष द्वारा संदेह किया गया है, परन्तु यह स्थापित विधि है कि आरोप विरचन के स्तर पर विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्यों की गुणदोष के आधार पर समीक्षा नहीं की जा सकती। **पलबिन्दर सिंह बनाम बलविन्दर सिंह एक अन्य 2009 (65) 399 सुपीर्म कोर्ट** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसी विधि का प्रतिपादन किया है जिसके अनुसार आरोप विरचन के स्तर पर विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्यों की गुणदोष के आधार पर समीक्षा विचारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर है। **हसन भाई बली भाई कुरैशी बनाम गुजरात राज्य ए.आई.आर. 2004 एस.सी. 2078** के निर्णयज विधि में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधि निर्धारित की है कि विचारण न्यायालय को मामले के तथ्य व परिस्थितियों को व्यापक रूप से देखना चाहिए तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आधार पर संम्भावनाओं को विचार में लेकर आरोप विरचन के सम्बन्ध में निर्णय लेना चाहिए।

अभियोजन की ओर से उद्वरित निर्णय विधि **2020 (1) जे0सी0 आर0सी0 469 भावना बाई बनाम घनश्याम एवं अन्य** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह विधि निर्धारित की है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा–228 के अन्तर्गत आरोप निर्धारित करते समय विचारण न्यायाधीश को विस्त्रृत आधार अंकित करने की आवश्यकता नहीं है, कि आरोप क्यों बनाया गया। मात्र अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या तथाकथित अपराध की स्थापना के आधार आरोप विरचित किया जा सकता है। अभियुक्त के विरुद्ध गम्भीर सन्देह विद्यमान होने पर भी आरोप विरचित किया जा सकता है।

यह सही है कि आवेदक रहीशू उर्फ रहीशुददीन के सम्बन्ध में साक्षियों ने घटना में उसकी भूमिका का कोई स्पष्ट कथन नहीं किया है परन्तु फोटोग्राफ में उसकी घटनास्थल पर उपस्थिति के सम्बन्ध में साक्षियों ने बयान दिया है तथा घटना में उसके भी शामिल होने का साक्षियों का बयान आया है। रहीशू उर्फ रहीशुददीन व अन्य दो नामजद अभियुक्तगण का भाई है। उसकी घटनास्थल उपस्थिति के सम्बन्ध में तथा उसकी पहचान के सम्बन्ध में जो आक्षेप बचाव पक्ष द्वारा किये गये हैं उनकी समीक्षा गुणदोष के आधार पर इस स्तर पर नहीं की जा सकती। आवेदकगण की घटनास्थल पर मौजूदगी का तथा उनकी घटना में सम्मिलित होने का प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण आकाश, रहीशू, अजय कुमार, रामू उर्फ रामकुमार, राजू उर्फ राजू खान, जमलू उर्फ जमालुददीन, होती उर्फ अखंड प्रताप, मोनू उर्फ केशव प्रसाद, लखवीर सिंह राना, आशीष कुमार के विरुद्धधारा–147,148,504,506,336, भा0दं0सं0 व धारा–307/149 ,धारा–302/149 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया जाना सर्वथा विधिसंगत होगा।

उपरोक्त आधारों पर बचावपक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक दशा में दिनांक 27.03.2024 को न्यायालय के समक्ष आरोप विरचन हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

रहे। यदि ऐसा करने में विफल रहते हैं तो यह जमानत की शर्तो का उल्लंघन माना जायेगा। आरोप विरचन हेतु दिनांक 27.03.2024 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0)
एटा।

Digitally signed by VEER BHADRA
Date: 2024.03.19 17:15:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court